संख्या-87आ0/23-10-14-32(सेतु)/2014

प्रेषक,

संजीव कुमार,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास),
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 लखनऊ: दिनांक 20 जनवरी, 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य योजना (सामान्य) के अंतर्गत जनपद बागपत में ग्राम बालौनी के निकट हिन्डन नदी पर संकरे सेतु के स्थान पर नये सेतु के निर्माण-कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या-774/प्रा0आग0-बागपत/सेतु-6/14, दिनांक 14.11.14 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बागपत में ग्राम बालौनी के निकट हिन्डन नदी पर संकरे सेतु के स्थान पर नये सेतु के निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित लागत रू0 1173.65 लाख (रूपये ग्यारह करोड़ तिहत्तर लाख पैंसठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये धनराशि (पूर्णांक में) रू0 235.00 लाख (रूपये दो करोड़ पैंतीस लाख मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय निम्न विवरणानुसार तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्रम सं0	कार्य का विवरण	आंकलित लागत	वित्तीय वर्ष 2014-15 में आवंटन	अनुदान सं0-57 का अंश	अनुदान सं0-83 का अंश	कार्यदायी संस्था
1	2	3	4	5	6	7
अ-1	सेतु की लागत(लं0 149.55 मी0)	462.81	235.00	185.00	50.00	सेतु निगम
2	5 प्रतिशत कमी करते हुये लागत	439.67				
3	लेबर सेस 1 प्रतिशत	4.40				
4	सेंटेज चार्ज 12.5 प्रतिशत	54.96				
	योग-	499.03				
ब-1	पहुंच मार्ग की लागत	141.75				लोक निर्माण विभाग
2	अति0 पहुंच मार्ग की लागत	44.23				
3	सुरक्षात्मक कार्य की लागत	127.41				
	योग-	313.39				
4	कन्टीजेंसी 1 प्रतिशत	3.13				
5	लेबर सेस 1 प्रतिशत	3.13				
6	मूल्य ह्रास निधि 1.5 प्रतिशत	4.70				

7	अधिष्ठान व्यय 8.875 प्रतिशत	21.55				
8	भूमि अध्याप्ति की लागत	298.72				
9	वन विभाग/विद्युत विभाग हेतु लागत	30.00				
		योग-	674.62			
		महायोग-	1173.65	235.00	185.00	50.00

(1) परियोजना की लागत का अधिष्ठान व्यय चालू वित्तीय वर्ष में लेखा शीर्षक-1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियां-05-अधिष्ठान व्यय की प्राप्तियों में जमा की जायेगी।

(2) प्रश्नगत कार्य हेतु आंकलित लागत में 01 प्रतिशत लेवर सेस आंकलित किया गया है जो इस शर्त के अधीन है कि वह उपकर श्रम विभाग को वास्तविक रूप से भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायगी।

(4) स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए में न रखी जाय। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्यों पर ही व्यय की जायेगी।

(5) कार्य की विशिष्टियां मानक एवं गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/ कार्यदायी संस्था की होगी। कार्य एवं फंडिंग की डुप्लीकेसी न हो, यह भी प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत परियोजना सम्बन्धी निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व शासन देश संख्या-831/23-1-10(रिट)/10, दिनांक 20.04.10 के अनुपालन में सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि समस्त अपेक्षित अनापत्तियां प्राप्त कर ली गई हैं।-

(7) मूल्य ह्रास निधि की 1.50 प्रतिशत सुसंगत लेखाशीर्षक मे जमा करायी जायेगी।

(8) भूमि की अध्याप्ति सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) सेतु की लम्बाई/चैड़ाई में परिवर्तन, स्वीकृत परियोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि वित्त समिति की का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। अनुमोदित कार्यों की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने से पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अंदर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव लागत पर विचार नहीं किया जायेगा।

(10) सेतु निर्माण में एवटमेन्ट व उससे एडज्वायनिंग स्पान में डेक स्तर तक का कार्य प्राथमिकता पर किया जाय एवं पहुंच मार्ग का कार्य भी सेतु निर्माण के साथ साथ सम्पादित किया जाय पहुंच मार्ग व सेतु पर आवश्यकतानुसार रोड सेफटी के कार्य भी कराया जाय।

(11) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाया

(12) कार्यदायी संस्था /विभाग द्वारा नियमानुसार विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृत प्राप्त करने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय ।

(13) प्रायोजना की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

क्रमशः---------

(14) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0ओ0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित मानक एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार व्यय की जायेगी।

2- प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य योजना(सामान्य) के अनुदान संख्या-87 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय- आयोजनागत-04-जिला तथा अन्य सड़कें-101-पुल 0403-ग्रामीण सेतुओं का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्यमद एवं अनुदान सं0-83 के अंतर्गत लेखाशीर्ष 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-04-जिला तथा अन्य सड़कें-789-अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना-20-ग्रामीण सेतुओं का निर्माण कार्य-24-वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वहन किया जायेगा तथा उक्त कार्य के नाम से डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ई0-8-133/दस-2015, दिनांक 16 जनवरी, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजीव कुमार)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या-87आ0(1)/23-10-15-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- मण्डलायुक्त, मेरठ /जिलाधिकारी, बागपत ।
3- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
4- मुख्य अभियन्ता, पश्चिमी क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, मेरठ।
5- मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8।
7- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)।
8- राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
9- वेब अधिकारी, लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन/गार्ड फाइल।
10- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/निजी सचिव, मा0 लोक निर्माण मंत्री जी।

आज्ञा से,

(काशी प्रसाद तिवारी)
अनु सचिव।